

## न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी- श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 121/2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मांगाराम पुत्र धर्मराम 2. मूलाराम पुत्र धर्मराम 3. माफिदेवी पत्नि मांगाराम जाति मेघवाल निवासी करना तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. दूदाराम पुत्र धर्मराम जाति मेघवाल निवासी करना तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. तहसीलदार सिणधरी ।

### राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

#### उपस्थिति-

- श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
- विप्रार्थी सं. 02 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

#### निर्णय

दिनांक- 05.05.2026

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थीगण श्री पाबूराम बेनीवाल द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है, कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा पाबूभाखरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 277/3, 322 रकबा कमश: 9.8455, 1.6585 हैक्टर व मौजा करना के खेत खसरा संख्या 332/3 रकबा 0.9708 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 के राजस्व रिकार्ड में हिस्से भी खुलें हुए हैं, और हिस्सेनुसार प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन विवादित भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना ही विप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थीगण की कब्जा शुदा भूमि में मौके पर निर्माण करने पर उतारू है एवं प्रार्थीगण की कब्जाशुदा भूमि की सीमाओं में फेदबदल करने पर उतारू है। साथ ही धमकिया दी जा रही है कि बिना बंटवाड़ें करवायें ही प्रार्थीगण की कब्जाशुदा भूमि का अजनबी व्यक्ति


सहायक कलक्टर  
SDO सिणधरी

बेचान अथवा पक्का कब्जा या निर्माण इत्यादि कर दिया जावेगा। यदि दौराने विचारण वाद के प्रार्थीगण की कब्जाशुदा खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति में फेरबदल हो जाता है, तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई भविष्य में भी संभव नहीं है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध इस आशंय का स्थगन आदेश जारी किया जावे,कि वे विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।


हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील सिणधरी में मौजा पावूभाखरी की खसरा संख्या 277/3, 322 रकबा क्रमशः 9.8455, 1.6585 हैक्टर व मौजा करना के खेत खसरा संख्या 332/3 रकबा 0.9708 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में हिस्से भी खुए हुए है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट है। विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा समझा जाता है। ऐसी परिस्थिति में विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने के कारण यदि दौराने विचारण वाद प्रार्थीगण को कब्जा शुदा खातेदारी भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि की मौके स्थिति में भी फेरबदल हो जाता है, एवं विवादित भूमि में बिना विधिवत बंटवाड़ें करवायें विवादित भूमि में पक्का निर्माण या बेचान इत्यादि के खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढ़ती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बठने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम द्वष्यता प्रकरण मे जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 03.07.2025 को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी सं. 1 को मूलवाद के ताफैसला तक जरिये स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वह तहसील सिणधरी में मौजा पावूभाखरी की खसरा संख्या 277/3, 322 रकबा क्रमशः 9.8455, 1.6585 हैक्टर व मौजा करना के खेत खसरा संख्या 332/3 रकबा 0.9708 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, कब्जा इत्यादि नहीं कर वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।



(सर्वेश्वर निम्बार्क)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर सिणधरी